

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र010/ख0वि0अधि0- 01/15- 67

खाद्य, पटना/दिनांक- 07.01.16

प्रेषक,

पंकज कुमार,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2015-16 अंतर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम में एकरारनामित मिल से समतुल्य बैंक गारंटी/ड्राफ्ट के स्थान पर अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विभागीय पत्रांक-9004 दिनांक 01.12.2015 द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2015-16 अंतर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम एवं मार्गनिर्देश निर्गत किया गया है, जिसके तहत पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम चयनित तथा एकरारनामित मिल से एक माह की मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखकर धान के मूल्य के समतुल्य बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर एकरारनामा करके धान की आपूर्ति किया जाना है।

दिनांक 04.01.2016 को जिला पदाधिकारियों की बैठक में उपर्युक्त विषय पर मिलों द्वारा बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने में व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया है कि विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2015-16 अंतर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्य-योजना एवं मार्गनिर्देश की कंडिका -02 (6) के स्थान पर संशोधित किया जाता है, जो निम्नवत है :-

2(6) पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम द्वारा चयनित एवं एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारंटी के रूप में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त करेंगे एवं प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्ति धान को मिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुनः धान के समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पश्चात् धान की आपूर्ति करने का क्रम जारी रखा जाएगा, ताकि किसी भी परिस्थिति में अग्रिम धान मिलों के पास न रहे एवं पूर्ववर्ती समय में आयी समस्या उत्पन्न न हो।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक प्र010/ख0वि0अधि0- 01/15- 67

खाद्य, पटना/दिनांक- 07.01.16

प्रतिलिपि - सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

